



झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

शासी निकाय/प्रबंध समिति की बैठक के संबंध में आवश्यक सूचना

विज्ञापित संख्या - 64/2015

एतद् द्वारा सरकार के सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची के ज्ञापांक 2914 दिनांक 22.09.2015 द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में झारखण्ड राज्य स्थित सभी मान्यता प्राप्त इंटरमीडिएट(+2) महाविद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों, मध्यमा (संस्कृत) एवं मदरसा के प्राचार्यों/प्रधानाध्यापकों/प्रधान मौलवी को सूचित किया जाता है कि संस्था के प्रबंधन एवं प्रशासन के लिए गठित शासी निकाय/प्रबंध समिति की बैठक सभी सदस्यों की उपस्थिति में ही सुनिश्चित की जाय। विशेषकर सभी सदस्यों की उपस्थिति में ही शासी निकाय/प्रबंध समिति की बैठक में वित्तीय मामले में नियमसंगत निर्णय लिया जाय।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाय। इसका अनुपालन नहीं होने की स्थिति में यथोक्त संस्था द्वारा लिए गए नैतिक एवं वित्तीय निर्णयों पर परिषद् की सहमति प्रभावित हो सकती है।

अध्यक्ष के आदेश से,

ह./-

(मोहन चाँद मुक्तिम)

सचिव,

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/कॉ.स्था/13076/11-SECY/346/15

Dt. 20.11.15

D.O.P: 21.11.15